न्यायालय अवर न्यायाधीश तृतीय, डुमरॉव,

जिला–बक्सर।

स्वत्व वाद सं0–187/2016

के मामले में

1. जगदीश सिंह
2. जग नारायण सिंह — तीनों पिता स्व0 जगन्नाथ सिंह
3. ज्योति नारायण सिंह

सभी साकिनान–चिलहरी, पो0–चिलहरी थाना–डुमरांव, जिला–बक्सर।

.... **वादीगण**

बनाम्

1. विरेन्द्र राय उर्फ विरेन्द्र सिंह पिता स्व0 वैजनाथ राय

   साकिन–चिलहरी, थाना–डुमरांव, जिला–बक्सर।

   हाल मो0 ग्राम–गोपालपुर, थाना–सिमरी, जिला–बक्सर

.............**प्रतिवादी फरीक औवल**

2. अमित कुमार उपाध्याय पिता श्री सुरेन्द्रनाथ उपाध्याय

   साकिन एवं पो0–मझरीयां थाना–बक्सर औ0, जिला–बक्सर।

............**प्रतिवादी फरीक दोयम**

3. विजय राय (मृत) विधिक वारिसान मु0 मंजू देवी वगैरह

पिता स्व0 बैजनाथ राय

4. विनय राय पिता स्व0 बैजनाथ राय

सभी साकिनान—चिलहरी, पो0—चिलहरी, थाना—डुमरांव, जिला—बक्सर।

...............**प्रतिवादी फरीक सोयम**

वादी के तरफ से विद्वान अधिवक्ता........................ श्री अरूण कुमार दूबे

प्रतिवादी के तरफ से विद्वान अधिवक्ता .... श्री अजय कुमार सिंह

निर्णय तिथिः—10.07.2026

उपस्थिति — विनीत कुमार सिंह

अवर न्यायाधीश—तृतीय, डुमरॉव

निर्णय

अनुतोषः—

1. प्रस्तुत वाद यह घोषित करने के लिये लाया गया है कि यह डिक्लेयर किया जाए कि दिनांक—07.01.2016 रजिस्टर्ड दस्तावेज केबाला डीड नं0—246 नविस्ते मुदालेय नं0—1 विरेन्द्र राय वहक मुदालेह नं0—2 अमित कुमार उपाध्याय वो रजिस्टर्ड दस्तावेज केबाला डीड नं0—1656 दिनांक—06.02.2016 नविस्ते मुदालेह नं0—1 विरेन्द्र राय वहक मुदालेह नं0—2 अमित कुमार उपाध्याय निस्वत सैय तकरारी एराजी मुन्दर्जे जमीमा नं0—3

अर्जी हाजा एकदम जाली फरेबी नल एण्ड भ्वायड जिसकी कोई पायबंदी मुर्दयान खाह सैय तकरारी एराजी मुन्दर्जे जमीमा नं0–3 अर्जी हाजा पर नहीं है और उससे किसी तरह का इलाका वो सरोकार मुदालेह नं0–2 को सैय तकरारी एराजी में नहीं हासिल हुआ वो न है। दोयम टेम्पोररी इनजेक्सन वर खेलाफ मुदालेह फरीक औवल वो फरीक दोयम जारी कर उन्हें ता फैसला मुकदमा हाजा सैय तकरारी एराजी मुन्दर्जे जमीमा नं0–2 वो 3 को किसी नवे ट्रांसफर करने खाह वारदेन करने से किसी नवे मुदईयान के दखल कब्जे में छेड़–छाड़ करने से ता फैसला से रोक दिया जाए।

2. प्रस्तुत वाद में मुदईयान अपने–अपने के खानदान कर्ता है वो मुकदमा हाजा वहैसियत कर्ता वो कारनुन खुंट के दायर किया जाता है। मुदालेहम अपने–अपने खूंट के कर्ता के हैसियत से दायर किया जाता है। मुकदमा हाजा के एक सजरा कुर्सीनामा अन्दर जमीमा नं0–1 अर्जी हाजा में मुन्दर्ज किया जाता है जिससे रिस्तेमंदी वो भी करावतमन्दी वदरम्यान मुदईयान वो मुदालेहम फरीक औवल वो मुदालेहम फरीक सोयम जाहिर वो साबित होगा। कुर्सीनामा से यह जाहिर होगा कि मोरीसआला धनराज राय के दो पेसरान हरिहर राय वो गरीबा राय उर्फ चंद्रमणी सिंह हुए। हरिहर राय के एक पेसर वैजनाथ राय हुए वो वैजनाथ राय के तीन पेसरान मुदालेह नं0–1 विरेन्द्र राय उर्फ विरेन्द्र सिंह वो मुदालेहम फरीक सोयम विजय राय वो विनय राय हुए के गरीबा राय के एक पेसर जगन्नाथ राय वो जगन्नाथ राय के तीन पेसरान मुदईयान जगदीश सिंह, जग नारायण सिंह वो ज्योति नारायण सिंह हुए। धनराज राय व हालत इजमाल अपने

दोनों पेसरान के वकजा एलाही वफात कर गये वो वाद उनके ममात उनके कुल मतरूके पर उनके दोनों पेसरान हरिहर राय वो गरीबा राय वहिसे अलग—अलग सक्सीड किये वो दखल कब्जा में आये। हरिहर राय भी व हालत इजमाल अपने पेदर वैजनाथ राय के व कजा एलाही वफाात कर गये के वैजनाथ राय भी दिनांक—04.09.2012 को साथ इजमाल अपने तीनों पेसरान के वकजा एलाही वफात कर गये और उनके कुल मतरूके पर उनके तीनों पेसरान सक्सीड किये वो दखल कब्जे में चले आये। मुदइयान एवं मुदालेह नं0—1 वो मुदालेहम फरीक फरीक सोयम खानदान मरहुम धनराज राय के वारिसान है। वदरम्यान मुदईयान वो पेदर मुदालेहम फरीक औवल वो सोयम मरहुम वैजनाथ राय वास्ते करने बंटवारा मौरूसी जायदाद को एक नंबरी बंटवारा मुकदमा नं0—4 सन् 2001 व इजलास सब जज—2 बक्सर के इजलास में दायर हुआ वो उस नंबरी मुकदमा में सुलहनामा डिक्री वास्ते बंटवारा के दिनांक—12.03.2008 को हुआ वो सुलहनामा डिक्री दिनांक—26.03.2008 को साइन एवं सिल्ड हुआ वो उस सुलहनामा डिक्री से समझौता में दिये गये जमीमा नं0—1 की एराजी मुदईयान को हासिल हुयी वो जमीमा नं0—2 की एराजी वैजनाथ ाय को हासिल हुयी जिस पर वे लोग दखल कब्जे में आये। मुदालेहम फरीक औवल एवं सोयम वैजनाथ राय दिनांक—04.09.2012 को साथ इजमाल अपने पेसरान ममुदालेहम फरीक औवल एवं सोयम के वकजा एलाही वफात कर गये वो वाद ममात उनके कुल मतरूके पर वहैसियत वारिसान के मुदालेहम फरीक औवल वो सोयम साविक सक्सीड किये वो हक हकुक वो दखल कब्जे में आये। वाजे रहे कि मौजा चंदा के अपने हिस्सा की सभी एराजी मरहुम वैजनाथ राय ने बय कर दिया है।

मुदालेहम फरीक सोयम को मिटाने नुक्स फरीक मुकदमा हाजा के एहतियाती मुदालेह बनाया जाता है उनके खिलाफ मुदईयान को कोई रीलिफ नहीं मांगा गया है वो न सैय तकरारी एराजी के वनिसवत उनके खिलाफ कोई कारवाई है। अगर उन्हें दावा मुदईयान मंजुर हो तो वे लोग मुकदमा हाजा में जबाव देही वो देनदारी खर्च के कोई पायबन्द नहीं है। मुदइयान को बरूए बंटवारा अलावे दिगर एराजियात वो रकबा जायदाद के मौजा गोपालपुर थाना सिमरी थाना नं0—125 के चक खाता नं0—2 चक खेसरा नं0 181 में अलावे दिगर रकबा के एक रकबा 21 डी0 वे भी चक खेसरा नं0 168 में अलावे दिगर रकबा के एक रकबा 17.5 डी0 हासिल हुआ जिस पर मुदईयान हक हकुक एवं दखल कब्जा में कायम है के अलावे दिगर एराजीयात वो रकबा के मुदईया को वाके मौजा चंदा थाना डुमरांव थाना नं0—147 जिला बक्सर में सर्वे खाता नं0—12 (47) के खेसरा नं0—430 में अलावे दिगर रकबा एक रकबा 31 डी0 एराजी वो सर्वे खाता नं0—47 के खेसरा नं0 45 में अलावे दिगर रकबा के एक रकबा 10 डी0 वो खेसरा 81 में अलावे दिग रकबा के रकबा 10 डी0 हासिल हुआ जिस पर मुदईयान एक्सक्लुसिभली हक हकुक वो दखल कब्जा में कायम है। वाजे रहे कि दोनों मौजा के मुदईयान के हिस्से की एराजीयात का पुरा तफसिल अंदर जमीमा नं0—2 अर्जी हाजा में मुन्दर्ज किया जाता है जो सैय तकरारी एराजी मुकदमा हाजा का है। माह फरवरी 2016 के आखिरी सप्ताह में मुदालेहम फरीक दोयम साथ मुदालेहम फरीक औवल के मुदईयान को धमकी दिया कि उसने मुदालेह नं0 1 से मुदईयान के हिस्से की एाजी मुन्दर्जे जमीमा नं0—2 को वजरिये 2 किता केबाला से खरीद लिया और अवसर बुनियाद उस जाली फरेबी केवाला के आपको बेदखल कर देंगे

वो मुदईयान के हकियत को इन्कार करने लगे। वादहुम धमकी के वो करने छेड़छाड़ मुदईयान अचरज में पड़ गये और बक्सर सब रजिस्ट्री में पता लगाये और दिनांक—02.03.2016 को उक्त दोनों किता केवालेजात का वजाप्ता नकल हासिल किया तब मुदईयान को पहले—पहल पुरी जानकारी जाली फरेबी केवालेजात का हुआ वो मुदई को यह जानकारी हुयी कि मुदालेहम फरीक औवल ने वेला हक अख्तियार के वेला लिये एक खरमोहरा के मुदईयान के हिस्से की एराजी वाके मौजा गोपलपुर थाना सिमरी थाना नं0—15 जिला बक्सर के चक खाता नं0—2 चक खेसरा नं0—181 रकबा 21 डी0 वो खेसरा नं0 168 व रकवा 17.5 डी0 दिनांक—06.02.2016 को वहक मुदालेहम फरीक दोयम अमित कुमार उपाध्याय को बय कर दिया है जिसका पुरा तफसिल अंदर जमीमा नं0—3 अर्जी हाजा में मुन्दर्ज किया जाता है जो सैय तकरारी एराजी मुकदमा हाजा का है जिसे जूजो अर्जी तसौवर किया जाए वो वाके मौजा चंदा थाना डुमरांव थाना नं0—147 जिला बक्सर के मुदईयान के हक हिस्से की एराजी खाता नं0—12(47) खेसरा नं0—430 में रकबा 31 डी0 वो खेसरा नं0—493 रकबा 26.333 डी0 वो खाता नं0—47 खेसरा नं0—45 व रकबा 10 डी0 वो खेसरा नं0—81 रकबा 10 डी0 दिनांक—07.01.2016 को बहस्ते मुदालेहम फरीक दोयम अमित कुमार उपाध्याय के वजरिये रजिस्ट्री वास्ते दस्तावेज कवाले के बय कर दिया जो एकदम जाली फरेबी है। मौजा गोपालपुर वो मौजा चंदा दोनों मौजा के दुदईयान की हक हिस्से के एराजी की गयी बय का पुरा तफसिल अंदर जमीमा नं0—3 अर्जी हाजा में मुन्दर्ज किया जाता है जो सैय तकरारी एराजी मुकमदा हाजा का है जिसे जूजो अर्जी तसौवर किया जाए। दोनों किता केबालेजात दिनांक—07.

01.2016 वो 06.02.2016 हसब जैल तरीके से जाली फरेबी नल वो भ्वायड है। बय सुदे तकरारी एराजी मुदईयान के हक हिस्से वो दखल कब्जे की एराजी है उससे मुदालेहम फरीक औवल को कोई एलाका वो सरोकार नहीं है वो न उस एराजी में मुदालेहम फरीक औवल को ट्रांसफरेबुल इन्टरेस्ट है, मुदालेह फरीक औवल को कोई हक अख्तियार बय करने को नहीं है। मुदालेह नं0 1 को नसा खोरी की तल है और नसे की हालत में वेला दिये एक खरमोहा के मुदालेह फरीक दोयम ने जाली फरेबी केबाला तहरीर ककरा लिया है। हरगिज मुदालेह नं0—1 विरेन्द्र राय ने अपने होसो—हवास में केबाला समझ बूझकर वो पढ़कर वो केबाला लिखने की नियत से तकरारी केबाला ना तो तहरीर किया है वो न रजिस्ट्री बनाया है। दोनों किता सैय तकरारी केबाला ऐक्टेड अमीन नहीं हुआ वो वर बुनियाद उस दोनों केवालेजात के मुदालेहम फरीक दोयम को दखल कब्जा नहीं मिला बल्कि साविक दस्तुर मुदईयान का हक हकुक वो दखल कब्जा उपर सैय तकरारी एराजी मुन्दर्जे जमीमा नं0—3 अर्जी हाजा पर कायम है। सैय तकरारी दोनों केबालेजात विदाउट कंसीडरेसन के है जिसकी कोई पायबंदी मुदईयान पर नहीं है। मुदालेहम फरीक औवल वो दोयम ने अपने मेली कातिब वो गवाहान के जाली फरेबी केबाला वजूद में लाया है। वजाप्ता नकल दोनों किता केबालेजात के मुदईयान ने मुदालेहम फरीक औवल वो दोयम से वारहा कहा वो कहलवाया के आपलोग सैय तकरारी एराजी मुन्दर्जे जमीमा नं0—3 अर्जी हाजा पर मुदईयान के हकियत को इन्कार मत कीजिये वो दखल कब्जे में छेड़छाड़ मत किजीये वो वर बुनियाद उस गैर कानूनी नाजायज केवालेजात कोई दावा पेश मत कीजिये जाली फरेबी दोनों किता केवालाजात दिनांक—07.01.2016 वो 06.02.2016 को

रद्द वो वातिल कर दीजिए जिस पर वे लोग कोई गौर नहीं किये वो आखिर दिनांक–07.07.2016 को ऐसा करने से कतई इन्कार कर गये लेहाजा नौवत नालिस हाजा की पैदा हुई। दोनों किता सैय तकरारी केवालेजात के वजूद में रहने से एक तरह का जवार वो गुवार मुदईयान के हकियत पर आयद हो गया है लेहाजा इनको नल एण्ड भ्वायड डिक्लेयर कराना निहायत जरूरी है। जहुरदावी मुकदमा हाजा माह फरवरी आखिरी सप्ताह 2016 बरोज देने धमकी करने बेदखल वो भी करने इन्कार हकियत मुदईयान वो भी दिगर तारीख बरोज तलब तकाजा वो इन्कार वो भी दिनांक–02.03.2016 वरोज लेने वजाप्ता नकल दोनों किता केवालेजात वो होने पुरी जानकारी वावत दोनों किता जाली फरेबी केबालाजात के वो भी दिनांक–07.01.2016 वरोज तहरीर करने एक किता दस्तावेज केबाला वो भी दिनांक–06.02.2016 वरोज तहरीर करने दुसरा किता केबाला वो भी दिगर तारीख वरोज करने तलव तकाजा वो इन्कार वो दिनांक–07.07. 2016 वरोज आखिरी तलव तकाजा वो इन्कार वाके मौजा गोपालपुर थाना सिमरी जिला बक्सर वो भी वाके मौजा चंदा थाना डुमरांव जिला बक्सर अन्दर हद समायत अदालत हाजा के पैदा हुआ।

3. प्रतिवादी सं0–1 एवं 2 न्यायालय में उपस्थित होकर अपना बयान तहरीरी दाखिल किया जो इस प्रकार है– अर्जीदावी के पारा सं0–1 ता 5 के बयान अस्वीकार है। अर्जीदावी के पारा सं0–6 की सही–सही जानकारी नहीं है। प्रतिवादी सं0–1 गलित कुष्ट रोग से ग्रसित है और परिजनों ने अछुत जानकर बहिष्कार कर दिया है साथ ही

अर्जीदावी के पारा सं0—6 पृष्ट सं0—4 सिर्फ इतना कबुल है कि प्रतिवादी सं0—1, 3 एवं 4 के पिता जी के मृत्यु के बाद आपस में मौखिक बंटवारा हो चुका है और मौखिक बंटवारा के अनुसार दखल कब्जा में प्रतिवादी सं0—1, 3 एवं 4 है और प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा बिक्री किये जाने की तिथि से प्रतिवादी सं0—2 दखल कब्जा में खरीदगी जमीन के है और प्रतिवादी सं0 1, 3 एवं 4 के स्व0 पिता जी ने मौजा चंदा का जमीन बय नहीं किये हैं। अर्जीदावी के पारा सं0—7 के जबाव की कानूनन पायबंदी प्रतिवादी सं0—1 और 2 पर नहीं हैं, अर्जीदावी के पारा सं0—8 ता 15 वाते मामला प्रदाजी हच—पच करके झूठा और बनावटी बयान है जैसा कि पूर्व में बयान दिया जा चुका है। प्रतिवादी सं0—1 के गलित कुष्ट रोगी होने से परिजन अछूत मानकर प्रतिवादी सं0—1 की जायज कार्यवाही को भी अस्वीकार नहीं कर प्रतिवादी सं0—1 की संपत्ति जबरन दखल कानून की ओट में तुच्छ वो बोगस तथा परेशान करने वाला वाद पंजीबद्ध कराकर दखल करना चाहते हैं। प्रतिवादी सं0—1 वाजिब जरसमन लेकर अपना हिस्सा मौखिल बंटवारा से मिला जो दखली में है, बिक्री प्रतिवादी सं0—2 को करके दखली भी करा दिया है। अर्जीदावी के पारा संख्या का क्रम गलत टंकित हुआ है और वाद सं0—187 सन् 2016 वो वाद सं0—20 सन् 2016 में प्रतिवादी सं0—1 का पता ग्राम गोपालपुर बेयानित है जबकि वाद सं0—187 सन् 2016 में पता ग्राम चिलहरी बयानित है। जबकि वाद सं0—187 सन् 2016 में पारा सं0—6 पृष्ट सं0 4 पर जगदीश सिंह वगैरह का बयान है कि स्व0 वैजनाथ राय अपना सभी जमीन मौजा चंदा का बय कर दिए हैं जबकि वाद सं0 186/016 वाद सं0—187/16 वो वाद सं0—187/16 के अधिवक्ता एक ही है और वाद सं0 186/016

में स्व0 वैजनाथ राय के पुत्रों ने मौजा चंदा पर दावा किया है। सच्चाई यह है कि तीनों वाद मात्र प्रतिवादी सं0 1 के गलित कुष्ट रोगी होने से दाव—पेंच करनूनी कर संपत्ति प्रतिवादी सं0—1 को हथियाने का साजिश है। वादीगण प्रस्तुत वाद में किसी भी प्रकार के रिलिफ प्राप्ति के कानूनी अधिकारी नहीं है और अर्जी दावी के जिन—जिन बयानों को स्पष्टतया अस्वीकार नहीं किया गया है उसे स्वीकार नहीं बल्कि इन्कार समझा जायेगा वाद पक्षकार दोष से भी प्रदुषित है क्योंकि एन0एच0 84 में सरकार द्वारा तकरारी जमीन का कतपय अंश अधिसूचित कर अधिग्रहण किया जा रहा है। इसलिए वाद आदेश 1 नियम 9 सी0पी0सी0 1908 में आवश्यक पक्षकार के अभाव में वाद खारिज होने योग्य है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण के बेयान तहरीरी को स्वीकार कर बोगस वो तुच्छ तथा परेशान करने वाला प्रस्तुत वाद को हेवी कास्ट के साथ धारा 35—ए सी0पी0सी0 1908 के अनुसार खारिज किया जाए।

4. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् विदित होता है कि पक्षकारों के बीच सुलह की संभावना प्रतीत नहीं है। अतः धारा 89 सी0पी0सी0 में असफल मानते हुए दिनांक—02.02.2023 को निम्नलिखित वाद—बिन्दुओं का गठन किया गया जो निम्न प्रकार से है—

i. क्या वादी का वाद पोषणीय है?

ii. क्या वादी को विधिक वाद हेतुक प्राप्त है?

iii. क्या वादी का वाद कालबाधित है?

iv. क्या वाद विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के प्रावधानों के तहत वर्जित है?

v. क्या यह वाद विबन्ध, अभित्यजन, संस्वीकृति तथा प्रांग न्याय के नियमों के अंतर्गत वर्जित है?

vi. क्या वादी को विवादित भूमि पर स्वामित्व हित तथा दखल कब्जा प्राप्त है?

vii. क्या विवादित केबाला दस्तावेज सं0–246 दिनांक–07.01.2016 तथा केबाला दस्तावेज सं0–1656 दिनांक–06.02.2016 एक शून्य दस्तावेज है?

viii. क्या वादी कोई अन्य अनुतोष पाने के अधिकारी है?

5. वादी अपने दावे के समर्थन में मौखिक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं। वादी के तरफ से वादी साक्षी सं0–1 के रूप में दीनानाथ, वादी साक्षी सं0–2 के रूप में वीर बहादुर यादव, वादी साक्षी सं0–3 के रूप में अरविन्द कुमार सिंह, वादी साक्षी सं0–4 के रूप में लाल मोहन पासवान, वादी साक्षी सं0–5 बबन जी पाठक, वादी साक्षी सं0–6 जगनारायण सिंह का परीक्षण तथा प्रतिपरीक्षण कराया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप लगान रसीद वर्ष 2016–2017 को प्रदर्श–1 के रूप में चिन्हित कराया गया तथा केबाला दिनांक–25.09.2087 की सत्यापित प्रति वैजनाथ राय बनाम् सत्यनारायण सिंह को प्रदर्श–2 तथा विवादित केबाला दिनांक–07.01.2016 की सत्यापित प्रति को प्रदर्श–2/डी तथा विवादित केबाला दिनांक–06.02.2016 की सत्यापित प्रतिलिपि को

प्रदर्श–2/सी के रूप में चिन्ह्ति कराया गया। पुनः स्वत्व वाद सं0–4 सन् 2001 के आदेश दिनांक–12.03.2008 तथा सुलहनामा डिक्री दिनांक–18.03.2008 एवं सुलहनामा आवेदन दिनांक–14.06.2007 को क्रमशः प्रदर्श–3 तथा 3/ए के रूप में चिन्ह्ति कराया गया। पुनः विवादित भूमि से संबंधित चकबंदी खतियान को प्रदर्श–4 के रूप में दर्ज कराया गया।

6. प्रतिवादी के द्वारा अपने लिखित कथन के समर्थन में किसी प्रकार का मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए तथा वाद की कारवाई में भाग लेना छोड़ दिये।

7. वादी का संक्षेप में दावा यह है कि विवादित भूमि अंतर्गत मौजा गोपालपुर, थाना नं0–125 चक खाता 2 चक खेसरा नं0 168 तथा चक खेसरा सं0–181 रकबा क्रमशः 17 डी0 एवं 21 डी0 तथा विवादित भूमि अंतर्गत मौजा चंदा थाना नं0 147 सर्वे खाता नं0 12 सर्वे प्लाट नं0 430 रकबा 31 डी0 तथा सर्वे खाता नं0 47 सर्वे प्लाट नं0–47 एवं 81 रकबा 10–10 डी0 की भूमि प्रतिवादी विरेन्द्र राय के पिता वैजनाथ राय से स्वत्व वाद सं0–4 सन् 2001 में दाखिल सुलहनामा के आधार पर प्राप्त हुई थी। जबकि प्रतिवादी विरेन्द्र राय इसी भूमि के भाग में से प्रतिवादी सं0–2 को बिक्री कर दिए। पुनः वादी का दावा है कि सुलहनामा में वैजनाथ राय जो प्रतिवादी विरेन्द्र राय के पिता हैं को प्राप्त भूमि का बिक्रय पूर्व में ही किया जा चुका है। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी को विवादित भूमि को बिक्रय करने का किसी प्रकार से हक एवं अधिकार नहीं था।

वादी के दावे के आलोक में दाखिल प्रदर्श सं0–3 तथा 3/ए के अवलोकन से विदित होता है कि स्वत्व वाद सं0 4 सन् 2001 में सुलहनामा के आधार पर वादीगण तथा प्रतिवादी सं0–1 के पिता बीच बंटवारा हो चुका है। जिसके संपूर्ण अवलोकन से यह विदित होता है कि कोई भी भूमि अंतर्गत सर्वे खाता नं0–12 खेसरा 430 के अंतर्गत इस सुलहनामा में दर्ज नहीं है। जबकि वादी का कथन अंतर्गत अनुसूची सं0 3 के अनुसार यह है कि विवादित केबाला दिनांक–07.01.2016 में खाता सं0 12 लिखा गया है जबकि खाता सं0–47 है। इस आलोक में पुनः प्रदर्श सं0–3/ए के अवलोकन से विदित होता है कि खाता 47 खेसरा 430, खेसरा 45 एवं खेसरा 81 में वादीगण को भूमि क्रमशः रकबा 72 डी0, 47.5 डी0 तथा 40 डी0 प्राप्त हुई थी। जबकि प्रतिवादी के पिता वैजनाथ राय को खाता 47 खेसरा 45, 81 एवं 430 में क्रमशः 47.5 डी0, 75 डी0 एवं 93 डी0 भूमि प्राप्त हुई थी। पुनः बिक्रय पत्र में विवादित भूमि से संबंधित दर्ज की गयी चौहद्दी तथा प्रदर्श–3/ए में भूमि से संबंधित चौहद्दी के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि प्रतिवादी सं0–1 के द्वारा वादी के हक हिस्सा की भूमि का क्रय किया गया है। पुनः वादी का यह दावा है कि प्रतिवादी सं0–1 के पिता के द्वारा पूर्व में ही खाता 47 के खेसरा 45, 81 तथा 430 में प्राप्त हिस्से की भूमि का बिक्रय किया जा चुका है। जबकि वादी के द्वारा इस दावे के संदर्भ में किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके अभाव में यह निष्कर्ष निकालना उचित प्रतीत नहीं हाता है कि विवादित खाता नं0 47 के खेसरा 45, 81 एवं 430 में प्रतिवादी के पास किसी प्रकार की भूमि शेष बची नहीं रह गयी हो अथवा उनके पिता के द्वारा संपूर्ण भूमि का बिक्रय किया जा चुका

है। ऐसी परिस्थिति में जहां विधि अनुसार वादी पर यह भार होता है कि वह अपने द्वारा किये गये दावे को सुसंगत एवं युक्ति—युक्त साक्ष्य के माध्यम से साबित करे। किन्तु वादी अपने इस दावे के समर्थन में न्यायालय के समक्ष कोई भी सुसंगत एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है। ऐसी परिस्थिति में यह निष्कर्ष निकालना उचित प्रतीत होता है कि वादी इस तथ्य को साबित करने में असफल रहा है कि प्रतिवादी सं0—1 का किसी प्रकार का हक हिस्सा अंतर्गत खाता 47 खेसरा 45, 81 एवं 430 की भूमि में शेष बचा नहीं रह गया।

उसी प्रकार वादी विवादित भूमि अंतर्गत मौजा गोपालपुर थाना 125 चक खाता सं0—2 चक खेसरा नं0 181 एवं 168 रकबा 21 एवं 17 डी0 के संदर्भ में कोई सुसंगत एवं युक्ति—युक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं जिसके आधार पर न्यायालय इस निर्णय पर पहुंच सके कि प्रतिवादी का विवादित भूमि पर किसी प्रकार का हक हिस्सा नहीं रह गया है। पुनः प्रदर्श—4 के अवलोकन से विदित होता है कि चक खाता 2 का खतियान गरीबा राय वो निरंजन राय तथा वैजनाथ राय के नाम से संयुक्त बना है। जिसमें विवादित भूमि के अंतर्गत दिए गए चक खेसरा नं0 181 एवं 168 का किसी प्रकार का विवरण नहीं है। ऐसी परिस्थिति में सुसंगत साक्ष्य के अभाव में वाद बिन्दु सं0—6 एवं 7 वादी के विरूद्ध निर्णय किये जाते हैं। पुनः वाद बिन्दु सं0 8 के संदर्भ में वादी के अधिवक्ता के द्वारा बहस के दौरान किसी प्रकार का तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसी परिस्थिति में वाद बिन्दु सं0 8 को वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

8. वाद बिन्दु सं0 1, 2, 3 एवं 4 के संदर्भ में दोनों पक्षकारों के द्वारा किसी प्रकार का उल्लेख बहस के दौरान नहीं किया गया है। साथ ही साथ अभिलेख पर इससे संबंधित किसी प्रकार का साक्ष्य उपस्थित नहीं पाने के आधार पर यह निर्णित किया जाता है कि वाद बिंदु सं0 1, 2, 3 एवं 4 से संबंधित तथ्य बिना साबित किये रहे।

आदेश

इस प्रकार वादी का वाद सुसंगत साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है।

लेखापित, शुद्धिकृत एवं हस्ताक्षरित

''लेखापित''

(विनीत कुमार सिंह)
अवर न्यायाधीश, द्वितीय
अनु0व्यव0 न्यायालय,
डुमरॉव, बक्सर।
दिनांक—10.07.2026

''लेखापित''

(विनीत कुमार सिंह)
अवर न्यायाधीश, द्वितीय
अनु0व्यव0न्यायालय
डुमरांव, बक्सर।
दिनांक—10.07.2026